अनुदान संख्या 58 – माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग
GRANT No. 58–DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
पूरक	*Supplementary*	*8,00*	*8,00*	*7,33*	*–67*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	5800,49,00	5856,57,00	5828,41,01	–28,15,99
पूरक	Supplementary	56,08,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,39,55
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		1,00	. .	–1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (2815.99 लाख रु.) दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 5608.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 50 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का लगभग आधा प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.2815.99 lakhs) constituted 50 percent of the supplementary grants of Rs.5608.00 lakhs obtained in December, 2005 and March, 2006 and nearly half percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2202''	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	371101.00			
पू.	S.	4.00	407529.25	407146.79	–382.46
पु.	R.	36424.25			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2203'' तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	157071.00			
पू.	S.	5603.00	151282.53	150949.11	–333.42
पु.	R.	–11391.47			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	27306.00	1425.00	1425.00	. .
पु.	R.	–25881.00			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	21279.00			
पू.	S.	1.00	20291.39	20290.37	–1.02
पु.	R.	–988.61			

(I) 34863.61 लाख रु. का प्रावधान बत्तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 34440.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2203'' -

(क) "पॉलिटेक्निक्स'' -

(i) "नए पॉलिटेक्निक्स की स्थापना'' - 5400.00 लाख रु.; और

(ii) "पॉलिटेक्निक्स में अवसंरचना विकास कार्यक्रम'' - 1350.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों के प्रारंभिक चरण में होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.34863.61 lakhs remained wholly unutilised under thirty two heads; of these Rs.34440.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2203" -

(a) "Polytechnics"-

(i) "Setting up of New Polytechnics"- Rs.5400.00 lakhs; and

(ii) "Infrastructure Development Programme in Polytechnics" - Rs.1350.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to schemes being at preparatory stage.

(ख) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - कांचीपुरम स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान'' - 900.00 लाख रु. संस्थान स्थापित किए जाने के लिए भूमि उपलब्ध न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमें के लिए प्रावधान'' - 26105.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण'' -

(क) ''विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार'' - 475.00 लाख रु. विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के सुधार की स्कीमको राज्य सरकारों को अंतरित किए जाने के कारण थे।

(ख) ''प्रवेश और साम्या - 210.00 लाख रु. स्कीम के संशोधनाधीन होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(क) ''विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा - स्वैच्छिक संगठन'' - 820.84 लाख रु. की बचत (1315.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान नए प्रस्तावों पर विचार न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्रवेश और साम्या - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 210.10 लाख रु. की बचत (600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों से व्यवहार्थ प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Engineering, Technical Colleges and Institutes - Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Kanchipuram" - Rs.900.00 lakhs - due to non-availability of land for setting up of the Institute.

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes of North Eastern Areas and Sikkim"- Rs.26105.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Secondary Education– Research and Training" -

(a) "Quality Improvement in Schools" – Rs.475.00 lakhs - due to transfer of the scheme of improvement of Science Education in Schools to State Governments.

(b) "Access and Equity"- Rs. 210.00 lakhs - due to the scheme being under revision.

(II) Under Major Head "2202"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Secondary Education" – Other Expenditure"-

(a) "Integrated Education for Disabled Children - Voluntary Organisations" - saving of Rs.820.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1315.00 lakhs) was due to non -consideration of fresh proposals during the year.

(b) "Access & Equity - Grants to Voluntary Organisations" - saving of Rs.210.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.600.00 lakhs) was due to receipt of less number of viable proposals from Voluntary Organisations.

(खा) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विशविद्यालयों को सहायता - राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)'' - 2476.00 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "University and Higher Education - Assistance to Universities - Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)" –saving of Rs. 2476.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs); and

(गा) ''भाषा विकास - संस्कृत शिक्षा - राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान को अनुदान'' - 200.00 लाख रु. की बचत (225.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Language Development - Sanskrit Education - Grant to Rashtriya Ved Vidya Pratishthan"- saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.225.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष के अनुदान के अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year.

(घा) ''सामान्य'' -

(D) "General"-

(क) ''निदेशन और प्रशासन'' -

(a) "Direction and Administration" -

(i) ''विदेशी शैक्षिक संस्थाएं'' - 126.57 लाख रु. की बचत (436.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ इकाइयां बंद किए जाने के कारण हुई।

(i) "Educational Institutions Abroad" – saving of Rs.126.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.436.00 lakhs) was due to closure of some units.

(ii) ''आरोविले प्रबंधन'' - 204.75 लाख रु. की बचत (406.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान के निर्माण की धीमी गति होने के कारण हुई।

(ii) "Auroville Management" - saving of Rs.204.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 406.00 lakhs) was due to slow pace of construction of Sree Aurobindo International Institute for Educational Research.

(ख) ''अनुसंधान - बौद्धिक सम्पदा शिक्षा, अनुसंधान और लोक पहुंच संबंधी स्कीम'' - 408.83 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "Research - Scheme for Intellectual Property Education, Research and Public Outreach"-saving of Rs.408.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(ग) ''अंतराष्ट्रीय सहयोग - यूनेस्को को अंशदान'' - 105.44 लाख रु. की बचत (688.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूरो मुद्रा में घट-बढ़ होने के कारण हुई।

(c) "International Cooperation – Contribution to UNESCO"- saving of Rs. 105.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.688.00 lakhs) was due to fluctuations in Euro currency.

(III) मुख्य शीर्ष ''2203'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2203" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद'' - 1000.00 लाख रु. की बचत (10148.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंतरिक प्राप्तियों और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E)"- saving of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10148.00 lakhs) was due to internal receipts and availability of unspent balance of previous year.

(खा) ''पालिटेक्निक्स'' -

(B) "Polytechnics"-

(क) ''गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान - सामुदायिक पालिटेक्निक्स'' - 1401.23 लाख रु. की बचत (2710.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(a) "Grants for Quality Improvement Programme - Community Polytechnics"- saving of Rs.1401.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2710.00 lakhs); and

(ख) ''पालिटेक्निक शिक्षा के सुधार के संबंध में विश्व बैंक परियोजना'' - 157.00 लाख रु. की बचत (217.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) "World Bank Project for improvement of Polytechnic Education" - saving of Rs.157.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.217.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year.

(गा) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(C) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

(क) ''भारतीय प्रबंधन संस्थान'' - 1209.83 लाख रु. की बचत (6151.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(a) "Indian Institute of Management"-saving of Rs.1209.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6151.00 lakhs) was due to availability of unspent balance with the Institute.

(ख) ''संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 370.00 लाख रु. की बचत (1470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संकाय पदों को भरे न जाने और संस्थान के पास अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(b) "Sant Longowal Institute of Engineering and Technology" - saving of Rs.370.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1470.00 lakhs) was due to non-filling up of faculty posts and availability of unspent balance with the Institute.

(ग) ''भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर'' - 200.00 लाख रु. की बचत (1003.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior" - saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1003.00 lakhs); and

(घ) ''जबलपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 300.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(d) "Indian Institute of Information Technology at Jabalpur"- saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs)

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

(घा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''प्रौद्योगिकी विकास मिशन'' - 338.17 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी संस्थानों से कम संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''तकनीकी शिक्षा - भारत सरकार की गुणवत्ता सुधार परियोजना'' - 9501.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''केंद्रीय योजना स्कीमें के लिए अनुदान - भाषा विकास-संस्कृत शिक्षा - संस्कृत शिक्षा का विकास'' - 604.91 लाख रु. की बचत (1510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''सामान्य (सामान्य शिक्षा) छात्रवृत्ति - राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 124.33 लाख रु. की बचत (940.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 613.31 लाख रु. की बचत (1650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 282.98 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year.

(D) “Other Expenditure” -

(a) “Technology Development Mission” - saving of Rs.338.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Technical Institutes.

(b) “Technical Education - Quality Improvement Project of Government of India (EAP)”- saving of Rs.9501.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from National Institute of Technology.

(IV) Under Major Head “3601”-savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants for Central Plan Schemes - Language Development – Sanskrit Education-Development of Sanskrit Education”-saving of Rs.604.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1510.00 lakhs);

(B) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes”-

(a) “General (General Education) Scholarship - National Merit Scholarship Scheme” - saving of Rs.124.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.940.00 lakhs); and

(b) “Secondary Education – Other Grants-Vocationalisation of Education” - saving of Rs.613.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1650.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less number of proposals from State Governments.

(V) Under four heads savings of Rs.282.98 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs

रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत से 73 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (51861.48 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 5608.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" -

(क) "माध्यमिक शिक्षा" -

(i) "अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद" 1190.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1189.90 लाख रु. था।

(ii) "गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता -

(1) "केंद्रीय विद्यालय संगठन" - 5930.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5929.85 लाख रु. था।

(2) "तिब्बती शरणार्थी बालकों को शैक्षिक सुविधाएं (तिब्बती विद्यालय समिति)" - 150.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 149.90 लाख रु. था।

(3) "आदर्श विद्यालयों (नवोदय विद्यालयों) की स्थापना" - 8300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तवकि अधिक व्यय 8299.90 लाख रु. था।

(ख) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा" -

(i) विश्वविद्यालयों को सहायता - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" - 24874.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 24873.85 लाख रु. था।

(ii) "अन्य व्यय - राष्ट्रीय पुस्तक न्यास/पुस्तक संवर्धन संस्थाओं को अनुदान" - 418.22 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 417.22 लाख रु. था।

but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent to 73 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.51861.48 lakhs) utilised for augmenting the provision by reappropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.5608.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "Secondary Education"-

(i) "Research and Training - National Council of Educational Research and Training"- Rs.1190.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1189.90 lakhs.

(ii) "Assistance to Non-Government Secondary Schools"-

(1) "Kendriya Vidyalaya Sangathan" – Rs.5930.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5929.85 lakhs.

(2) "Educational facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society)"- Rs.150.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.149.90 lakhs.

(3) "Setting up of Model Schools (Navodaya Vidalayas)" - Rs.8300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.8299.90 lakhs.

(b) "University and Higher Education"-

(i) "Assistance to Universities - University Grants Commission" - Rs.24874.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.24873.85 lakhs.

(ii) "Other Expenditure - Grants to National Book Trust/Institutions for Book Promotion" - Rs.418.22 lakhs. Actual excess, however, was Rs.417.22 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2203'' -

(क) ''तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता''-

(i) ''भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 400.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 399.50 लाख रु. था।

(ii) ''पुणे और कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान'' - 600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 599.50 लाख रु. था।

(ख) ''इंजीनियरी - तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) ''भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान '' - 8359.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 8358.75 लाख रु. था।

(ii) ''भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद'' - 200.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 199.75 लाख रु. था।

(iii) ''भारतीय खान विद्यालय, धनबाद'' - 216.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 215.75 लाख रु. था।

(iv) ''नए और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को सहायता'' - 300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 299.75 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - उपस्कर- विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 924.26 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 923.25 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य का संवर्धन - राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद'' -

(B) Major head "2203"-

(a) "Assistance to Universities for Technical Education"-

(i) "Grants to Indian Institute of Science, Bangalore" – Rs.400.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.399.50 lakhs.

(ii) "Indian Institutes of Science for Education and Research (IISER) at Pune and Kolkatta" – Rs.600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.599.50 lakhs.

(b) "Engineering – Technical Colleges and Institutes"-

(i) "Indian Institute of Technology"- Rs.8359.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.8358.75 lakhs.

(ii) "Indian Institute of Information Technology, Allahabad"- Rs.200.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.199.75 lakhs.

(iii) "Indian School of Mines, Dhanbad" – Rs.216.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.215.75 lakhs.

(iv) "Support to New and Emerging Technology Areas"- Rs.300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.299.75 lakhs.

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Secondary Education– Equipment - Integrated Education for Disabled Children" - Rs.924.26 lakhs. Actual excess, however, was Rs.923.25 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "Language Development - Promotion of Modern Indian Language and Literature -

163.01 लाख रु. का अधिक व्यय (990.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित बिलों की अदायगी के लिए निधियों की आवश्यकता होने और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''सामान्य - अनुसंधान - भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद'' - 205.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3975.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष ''2203'' - ''इंजीनियरी - तकनीकी कालेज और संस्थान - राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 380.45 लाख रु. का अधिक व्यय (27666.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(गा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर'' - 224.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1201.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 1.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4202'' - ''शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंतत: इसे अभ्यर्पित कर दिया गया।

National Council for Promotion of Urdu Language" – excess of Rs.163.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.990.00 lakhs) was due to requirement of funds towards payment of pending bills and also on account of reappropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "General - Research – Indian Council of Social Science Research" – excess of Rs.205.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3975.00 lakhs);

(B) Major Head "2203"- "Engineering – Technical Colleges and Institutes - National Institute of Technology" – excess of Rs.380.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.27666.00 lakhs); and

(C) Major Head "2552" - "Development of North Eastern Areas - North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar" - excess of Rs.224.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1201.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to reappropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.1.00 lakh remained wholly unutilised in one case under Major Head "4202" - "Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture" - and was eventually surrendered.